भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *209

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार और उनका कल्याण

***209. प्रो. अच्युतानंद सामंत:**
श्री डी. के. सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने और उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए कृषि श्रमिकों का ब्यौरा क्या है और उनके उत्थान के लिए सरकार की अन्य योजनाएं क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर ओडिशा और कर्नाटक में राज्य-वार और जिला-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों की समुचित शिक्षा, रहन-सहन की स्थिति और दैनिक जरूरतों आदि से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

"कृषि श्रमिकों के जीवन मे सुधार और उनका कल्याण" के संबंध में प्रो. अच्युतानंद सामंत और श्री डी. के. सुरेश द्वारा दिनांक 18-12-2023 पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ड़): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 के उपबंधों के अनुसार सरकार (i) जीवन और निःशक्तता कवर; (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा; (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ संबंधी मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जीवन और निःशक्तता कवर प्रधान मंत्री जीवन ज्यति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज दिया जाता है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 436/- रुपये है। पीएमएसबीवाई भी 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनका बैंक/डाकघर में खाता है। इस योजना के अंतर्गत जो आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज है; इसके लिए 20 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम है। दिनांक 29.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत ओडिशा के लिए कुल संचयी नामांकन क्रमश: 63,90,697 तथा 1,66,66,162 और कर्नाटक राज्य के लिए 85,52,713 तथा 1,86,95,519 है। ओडिशा और कर्नाटक का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से अभाव और व्यवसाय मानदंडों के तहत सुनिश्चित किया जाता है। यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।

वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरंभ किया है। इस योजना में, 60 वर्ष के आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के वे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत फंड मैनेजर होने के नाते एलआईसी को सरकार के अंशदान हेतु निधि उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा नहीं रखा जाता, हालांकि, कृषि कामगारों सहित कुल 2,606 असंगठित कामगारों को ओडिशा के कंधमाल जिले में नामांकित किया गया है। पीएम-एसवाईएम के संबंध में ओडिशा और कर्णाटक में किए गए नामांकन का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। जिसमें प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी का रोजगार प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के आजीवका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान है। उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा आदि जैसी अन्य योजनाएं भी कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं। ये योजनाएं मांग आधारित हैं और तदनुसार बजट आवंटित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/ कल्याणकारी योजनाओं की प्रदायगी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। दिनांक 12.12.2023 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 29.21 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है। दिनांक 11.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार, ओडिशा के कंधमाल जिले में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों की कुल संख्या 1,37,450 है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-एसवाईएम योजना के तहत आवंटित निधि निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रुपये में)
2020-21	500
2021-22	400
2022-23	350
2023-24	350

इस निधि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान करने और समय-समय पर एलआईसी द्वारा किए गए समान सरकारी अंशदान और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में समुचित सरकार को 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को घर के समीप विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिदेश दिया गया है।

अनुबंध -I

'कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार और उनका कल्याण' के संबंध में प्रो. अच्युतानंद सामंत और श्री डी. के. सुरेश द्वारा दिनांक 18-12-2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 29.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत जिलावार संचयी नामांकन।				
क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**पीएमजेजेबीवाई नामांकन**	**पीएमएसबीवाई नामांकन**
1	ओडिशा	अनुगुल	248166	563539
2	ओडिशा	बलांगिर	249768	678199
3	ओडिशा	बालेश्वर	316957	896024
4	ओडिशा	बरगढ़	252110	684197
5	ओडिशा	भद्रक	178866	568140
6	ओडिशा	बौद्ध	71722	186667
7	ओडिशा	कटक	353919	985289
8	ओडिशा	देवगढ़	52157	131733
9	ओडिशा	ढेंकनाल	241808	574799
10	ओडिशा	गजपति	87086	217811
11	ओडिशा	गंजाम	543874	1395633
12	ओडिशा	जगतसिंहपुर	155758	427697
13	ओडिशा	जाजपुर	236023	726593
14	ओडिशा	झारसुगुडा	105824	247933
15	ओडिशा	कालाहांडी	179142	488242
16	ओडिशा	कंधमाल	113187	295295
17	ओडिशा	केंद्रपाड़ा	151709	515008
18	ओडिशा	केंदुझर	261771	692102
19	ओडिशा	खोर्धा	374241	1075620
20	ओडिशा	कोरापुट	192091	420885
21	ओडिशा	मलकानगिरी	103581	193080
22	ओडिशा	मयूरभंज	427859	1025824
23	ओडिशा	नबरंगपुर	148986	322329
24	ओडिशा	नयागढ़	139537	355179
25	ओडिशा	नुआपाड़ा	117413	270710
26	ओडिशा	पुरी	228205	675141
27	ओडिशा	रायगड़ा	149930	319696

28	ओडिशा	संबलपुर	206129	520491
29	ओडिशा	सोनपुर	96617	285371
30	ओडिशा	सुंदरगढ़	406261	926935
31	कर्नाटक	बागलकोट	291891	616355
32	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	1271138	2863983
33	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	189545	436587
34	कर्नाटक	बेलगावी	684638	1388154
35	कर्नाटक	बल्लारी	223908	397795
36	कर्नाटक	बीदर	186772	449560
37	कर्नाटक	विजयपुरा	284474	656383
38	कर्नाटक	चामराजनगर	144523	333766
39	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	195593	420438
40	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	207224	434319
41	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	313294	881895
42	कर्नाटक	दावणगेरे	255717	498300
43	कर्नाटक	धारवाड़	287763	632225
44	कर्नाटक	गड़ग	182219	392677
45	कर्नाटक	कलबुर्गी	252558	589178
46	कर्नाटक	हासन	273177	571140
47	कर्नाटक	हावेरी	255648	555504
48	कर्नाटक	कोडागु	103499	248838
49	कर्नाटक	कोलार	177731	407309
50	कर्नाटक	कोप्पल	167352	323669
51	कर्नाटक	मांडया	283122	537624
52	कर्नाटक	मैसूर	416718	902131
53	कर्नाटक	रायचुर	267266	508641
54	कर्नाटक	शिवमोगा	269199	573706
55	कर्नाटक	तुमकूरु	341922	706339
56	कर्नाटक	उडुपी	214157	527008
57	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	260177	608617
58	कर्नाटक	चिक्कबल्लापुर	137080	332138
59	कर्नाटक	रामनगर	143072	344707
60	कर्नाटक	यादगिर	138219	285401
61	कर्नाटक	विजयनगर	133117	271132

अनुबंध -II

'कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार और उनका कल्याण' के संबंध में प्रो. अच्युतानंद सामंत और श्री डी. के. सुरेश द्वारा दिनांक 18-12-2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**पीएमएसवाईएम के तहत पंजीकरण**
1	ओडिशा	बालेश्वर	19099
2	ओडिशा	गंजाम	11782
3	ओडिशा	कटक	11428
4	ओडिशा	केंदुझर	9693
5	ओडिशा	जाजपुर	9644
6	ओडिशा	अनुगुल	8646
7	ओडिशा	सुंदरगढ़	8121
8	ओडिशा	मयूरभंज	7926
9	ओडिशा	कोरापुट	7608
10	ओडिशा	पुरी	7448
11	ओडिशा	भद्रक	7032
12	ओडिशा	केंद्रपाड़ा	6250
13	ओडिशा	बलांगिर	6058
14	ओडिशा	खोर्धा	6042
15	ओडिशा	ढेंकनाल	5896
16	ओडिशा	जगतसिंहपुर	5858
17	ओडिशा	बारगढ़	5358
18	ओडिशा	नयागढ़	5097
19	ओडिशा	नबरंगपुर	4908
20	ओडिशा	कालाहांडी	4899
21	ओडिशा	संबलपुर	4143
22	ओडिशा	सोनपुर	3634
23	ओडिशा	गजपति	3043
24	ओडिशा	कंधमाल	2606
25	ओडिशा	नुआपाड़ा	2553
26	ओडिशा	देवगढ़	2409
27	ओडिशा	बौद्ध	2366
28	ओडिशा	झारसुगुडा	2287
29	ओडिशा	मलकानगिरि	1977
30	ओडिशा	रायगढ़	1802
31	कर्नाटक	बेलगावी	13057

32	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	12108
33	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	6804
34	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	6465
35	कर्नाटक	उडुपी	6406
36	कर्नाटक	मैसूर	6085
37	कर्नाटक	शिवमोगा	5600
38	कर्नाटक	तुमकुरु	5170
39	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	4318
40	कर्नाटक	विजयपुरा	4212
41	कर्नाटक	बल्लारी	4198
42	कर्नाटक	मांडय	4192
43	कर्नाटक	हासन	4176
44	कर्नाटक	कलबुर्गी	4167
45	कर्नाटक	दावणगेरे	4035
46	कर्नाटक	बागलकोट	3855
47	कर्नाटक	रायचुर	3721
48	कर्नाटक	रामानगर	3602
49	कर्नाटक	बीदर	3599
50	कर्नाटक	हावेरी	3393
51	कर्नाटक	गड़ग	3323
52	कर्नाटक	धारवाड़	3171
53	कर्नाटक	कोप्पल	3011
54	कर्नाटक	चिक्काबल्लापुर	3006
55	कर्नाटक	यादगिर	2953
56	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	2845
57	कर्नाटक	कोलार	2689
58	कर्नाटक	चामराजनगर	2096
59	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	1832
60	कर्नाटक	कोडागू	1189

*****